



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या – 83/2023

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (न्यायिक) सह- विधि परामर्शी,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ एवं अन्य

... अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उदय भान सिंह एवं अन्य

... उत्तरदाता (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मुख्य स्थायी अधिवक्ता

उत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता :- सुशील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सिविल प्रकीर्ण आवेदन संख्या 01/2023, विलंब क्षमा हेतु आवेदन पर आदेश)

1. राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एवं प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह को सुना।
2. यह अपील राज्य द्वारा दिनांक 21.05.2020 को रिट याचिका संख्या 3402 (एस/एस) 2018 (उदय भान सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) एवं रिट याचिका संख्या 9184 (एस/एस) 2018 (लक्ष्मण सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित समान निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
3. इस स्तर पर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. सिंह ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं अपनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपील में कहा है कि आज तक रिट न्यायालय द्वारा आदेशित कोई नियमित चयन प्रक्रिया आयोजित नहीं हुई है। उनका यह कथन भी है कि वे मौखिक रूप से विलंब क्षमा के आवेदन का विरोध करते हैं क्योंकि वैसे भी परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय का यह दायित्व है कि वह परिसीमा के प्रश्न पर विचार करे जो प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति से निरपेक्ष है।

4. सर्वप्रथम, न्यायालय के नियमों के अनुसार, एक ही निर्णय को चुनौती देने वाली एकल अपील, भले ही वह दो भिन्न रिट याचिकाओं में पारित समान निर्णय को चुनौती देती हो, दायर नहीं की जा सकती। फिर भी, यदि इस पक्ष को फिलहाल अनदेखा भी कर दिया जाए, तो भी यह स्पष्ट है कि यह अपील अत्यधिक विलंबित है, इसलिए हमें यह देखना होगा कि इतनी विलंब से अपील दायर करने का क्या कारण प्रस्तुत किया गया है। विलंब क्षमा के आवेदन के समर्थन में दिया गया शपथपत्र छह प्रस्तरों में है, जो निम्नवत है:-

"1. शपथकर्ता वर्तमान में अनुभाग अधिकारी (कैश/लेखा) शासकीय अधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, लखनऊ में नियुक्त है एवं अपीलकर्ताओं द्वारा इस विशेष अपील को शपथपूर्वक दायर करने के लिए सम्यक रूप से अधिकृत किया गया है एवं इस प्रकार वह नीचे वर्णित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित है। शपथकर्ता के पहचान प्रमाण की छायाप्रति संलग्न है।"

2. दिनांक 21.05.2020 के निर्णय की जानकारी अपीलकर्ता संख्या 2 को सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में मिली, जब श्री रॉबिन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिकाएं इलाहाबाद स्थित माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई।

3. इसके तत्काल पश्चात, अपीलकर्ता संख्या 1 को सूचित किया गया एवं दिनांक 21.05.2020 के निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील दायर करने के लिए आवश्यक स्वीकृति मांगी गई।

4. इसके बाद, यह विशेष अपील बिना किसी एवं विलंब के दायर की जा रही है।

5. इस विशेष अपील को दायर करने में हुआ विलंब जानबूझकर नहीं बल्कि सद्भावनापूर्वक हुआ है, इसलिए कृपया इसे क्षमा किया जाए, अन्यथा अपीलकर्ताओं को अपूरणीय हानि एवं क्षति होगी।

6. उपरोक्त तथ्यों, कारणों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, न्याय हित में यह समीचीन है कि माननीय न्यायालय कृपापूर्वक संलग्न विशेष अपील दायर करने में हुई विलंब को क्षमा कर दे।

5. उपर्युक्त शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 2 में कहा गया है कि दिनांक 21.05.2020 के निर्णय एवं आदेश की सूचना अपीलकर्ता संख्या 2, जो उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता हैं, को सितंबर 2022 में ही प्राप्त हुई, जब श्री रॉबिन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिकाएं इलाहाबाद स्थित इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुईं। शपथपत्र में किया गया यह कथन महाधिवक्ता कार्यालय के कामकाज पर अत्यधिक संदेह उत्पन्न करता है। महाधिवक्ता का कार्यालय इलाहाबाद एवं लखनऊ दोनों स्थानों पर उच्च न्यायालय परिसर में स्थित है। दिनांक 21.05.2020 को जिस रिट याचिका पर निर्णय लिया गया, वह लखनऊ स्थित उच्च न्यायालय द्वारा दायर एवं तय की गई थी। उच्च न्यायालय परिसर में ही महाधिवक्ता का कार्यालय है एवं उसी परिसर में मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कार्यालय भी है। विलंब क्षमा के आवेदन के समर्थन में दिए गए शपथपत्र में इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है कि दिनांक 21.05.2020 के निर्णय की सूचना/जानकारी उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को सितंबर 2022 में ही किस प्रकार एवं क्यों प्राप्त हुई। विवादित निर्णय दिनांक 27.01.2020 को सुरक्षित रखा गया था एवं 21.05.2020 को घोषित किया गया था। निर्णय घोषित किये जाने की सूचना सम्यक रूप से प्रकाशित की गई है। स्पष्ट रूप से, शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 2 में दिया गया कारण एक खोखला बहाना मात्र है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस प्रकार के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सकता, संवैधानिक न्यायालय तो दूर की बात है।

6. विलंब क्षमा हेतु आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के प्रस्तर 3 में इसके बाद यह कहा गया है कि दिनांक 21.05.2020 के निर्णय से अवगत होते ही महाधिवक्ता ने अपीलकर्ता संख्या 1 अर्थात् राज्य सरकार को सूचित किया, जिसने अपील दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी, हालांकि, अनुमति देने की तिथि का उल्लेख नहीं है।

7. इसके बाद, शपथपत्र में मात्र यह कहा गया है कि अपील बिना किसी अन्य विलंब के दायर की गई थी। यह अपील दिनांक 12.10.2022 को दोषपूर्ण अपील के रूप में दायर की गई थी, बाद में दोषों को दूर कर दिया गया, इसलिए इसे दिनांक 16.02.2023 को पंजीकृत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में दिनांक 30.05.2022 तक पारित आदेशों का लाभ देने के बावजूद, अपील में 135 दिनों का विलंब हुआ है। कम से कम उक्त अवधि के बाद, अर्थात् दिनांक 30.05.2022 के बाद, कुछ तत्परता प्रदर्शित की जानी चाहिए थी। दिनांक 30.05.2022 के बाद अपील दाखिल करने, दोषों को निवारित करने एवं अपील के पंजीकरण तक की अवधि के लिए कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है। राज्य द्वारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपील दर्ज करने के लिए दोषों का निवारण करने में लगभग चार माह का समय लगना ही इस बात का प्रमाण है कि अपील पर लापरवाही, उदासीनता एवं उपेक्षापूर्ण ढंग से कार्रवाई की जा रही थी। यदि अपीलकर्ताओं के इस दावे को भी मान लिया जाए कि उन्हें सितंबर 2022 में विवादित निर्णय की सूचना प्राप्त हुयी थी, तब भी अपील दाखिल करने में अत्यधिक विलंब हुआ है एवं सितंबर 2022 के बाद से अपील दाखिल करने एवं ऊपर उल्लिखित दोषों के निवारण तक की अवधि के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय, *शिवम्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य (2025 एससीसी ऑनलाइन 1969*, दिनांक 12.09.2025 को निर्णीत) की कसौटी पर कसने पर, हमें इस अपील को दायर करने में हुए अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिवम्मा (मृत) (उपरोक्त) मामले में यह धारित किया है कि "पर्याप्त कारण" शब्द लापरवाहीपूर्ण एवं पुराने दावों पर बल देने की समस्या का कोई रामबाण इलाज नहीं है। इस शब्द की व्याख्या न्यायोन्मुख नम्यता के साथ की जानी चाहिए ताकि निर्दोष वादियों को उन परिस्थितियों के लिए दंडित न किया जाए जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। न्यायालयों को घोर लापरवाही, आशयपूर्ण निष्क्रियता या उदासीनता को क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से "मुकदमेबाजी के अंत में राज्य का हित है" के सिद्धांत का हनन होगा एवं परिसीमा विधि द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली निश्चितता अस्थिर हो जाएगी। "पर्याप्त कारण" शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे परिसीमा के अनुशासन को बनाए रखते हुए तात्त्विक न्याय अग्रसर हो। न्यायालयों को सहानुभूति या तकनीकी कठोरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या आवेदक ने उपचार प्राप्त करने में उचित तत्परता बरती है। जहां स्पष्टीकरण वास्तविक, तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है, वहां न्यायालयों ने विलंब क्षमा करने का रुख अपनाया है। जहां लापरवाही, सद्भावना की कमी या लापरवाही का दृष्टिकोण स्पष्ट है, वहां विलंब क्षमा से इनकार कर दिया गया है। अपीलकर्ताओं ने उचित तत्परता नहीं दिखाई है एवं न ही उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तर्कसंगत एवं सामान्य मानवीय आचरण के अनुरूप है। उपरोक्त कारणों से उनकी ओर से लापरवाही, सद्भावना का आभाव एवं लापरवाही पूर्ण दृष्टिकोण प्रकट होता है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि न्यायालयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मामले के गुणदोष के आधार सशक्त वाद होना विलंब क्षमा का आधार नहीं है। जब विलंब क्षमा के लिए न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जांच मात्र इस बात तक सीमित होती है कि क्या अपील या कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दाखिल न करने का "पर्याप्त कारण" दर्शित किया गया है। अन्तर्निहित वाद के गुणदोष का इस जांच से कोई भी संबंध नहीं है। यदि न्यायालय इस स्तर पर मामले की योग्यता पर विचार करेंगे, तो इससे प्रारंभिक प्रक्रियात्मक प्रश्नों एवं वास्तविक निर्णय के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, जिससे न्यायिक जांच के दो भिन्न चरण परस्पर मिश्रित हो जाएंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं है कि दावा विधिक या तथ्यात्मक रूप से सशक्त है या नहीं, बल्कि मात्र यह निर्धारित करना है कि क्या आवेदक के पास विलंब का उचित कारण था। "पर्याप्त कारण" की कसौटी को मामले के गुणदोष की जांच से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। विलंब क्षमा, विलंब के स्पष्टीकरण पर आधारित विवेकाधिकार का मामला है, न कि मामले में सफलता की संभावनाओं पर। यदि वाद की विशेषताओं पर विचार किया जाए, तो सशक्त वाद के वादी को लापरवाही के बावजूद क्षमा प्रदान की जा सकती है, जबकि दुर्बल मामले को पर्याप्त कारण बताए जाने के बाद भी खारिज किया जा सकता है। इससे विधि का असमान एवं असंगत अनुप्रयोग होगा, जिससे परिसीमा के सिद्धांत द्वारा स्थापित एकसमान मानक का हनन होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विलंब क्षमा के चरण में गुण-दोष पर विचार न करने का एक एवं व्यावहारिक कारण बताया है, वह यह है कि इससे मामले की प्रारंभिक सुनवाई से पूर्व ही न्यायालय का किसी एक पक्ष के विरुद्ध पूर्वाग्रह उत्पन्न होने की आशंका रहती है। गुण-दोष पर समय से पूर्ण विचार करने से न्यायालय अनजाने में ऐसा मत बना सकता है जो बाद में निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। इस स्तर पर न्यायिक अनुशासन की यह अपेक्षा है कि मात्र विलंब के कारण की ही जांच की जाए, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए, हम इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकते।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी विचार किया कि क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत राज्य की सुस्ती एवं निष्क्रियता के लिए कोई रियायत दी जा सकती है। इस विषय पर विभिन्न पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद, अंततः न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि '**पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड**' (2012) 3 एससीसी 563 निर्णय से पूर्व, विलंब क्षमा के मामलों में राज्य एवं उसके संस्थानों के प्रति न्यायिक सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया जाता था, क्योंकि उनके कार्यव्यवहार की प्रकृति विशिष्ट थी। साथ ही, इसके विपरीत मत भी उपलब्ध थे, जैसे '**पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एडमिनिस्ट्रेटर, हावड़ा नगर पालिका**' (1972) 1 एससीसी 366 एवं '**लंका वेंकटेश्वरलू (डी) बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य**' (2011) 4 एससीसी 363 वादों में यह माना गया कि चाहे वादी सरकारी संस्था हो या निजी व्यक्ति, परिसीमा के प्रावधान समान रूप

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

से लागू होंगे एवं न्यायालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायत भी समान रहेगी। **पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त)** के निर्णय के बाद वर्तमान विधि स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। विलंब की क्षमा अपवाद रहेगी, नियम नहीं। सरकारी वादियों को भी, निजी पक्षों की भांति, विलंब के लिए वास्तविक, पर्याप्त एवं ठोस कारण दर्शित करना होगा। ऐसे औचित्य के अभाव में, मात्र आवेदक की पहचान के आधार पर विलंब को क्षमा नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि '**राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम बाल किशन माथुर (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि**' (2014) 1 एससीसी 592 एवं '**शिव राज सिंह बनाम भारत संघ**' (2023) 10 एससीसी 531 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पोस्टमास्टर जनरल (उपरोक्त) का निष्कर्ष मूलतः द्विस्तरीय है। पहला, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा से संबंधित मामलों में राज्य या उसके किसी भी निकाय से वरीयतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। राज्य का मूल्यांकन किसी भी निजी वादी के समान, उन्हीं मानकों पर किया जाना चाहिए। अन्यथा, परिसीमा की शुचिता से समझौता होगा। दूसरे, सरकारी विभागों द्वारा विलंब क्षमा के आधार के रूप में नौकरशाही की लालफीताशाही, प्रक्रियात्मक अड़चनों या प्रशासनिक अक्षमताओं पर बार-बार निर्भर रहना, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए सदैव "पर्याप्त कारण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे कारणों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाए, तो परिसीमा विधि द्वारा लागू किया जाने वाला अनुशासन ही अशक्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमों में अंतहीन अनिश्चितता उत्पन्न होगी। हमने उक्त निर्णय के अन्य भागों, जिनमें प्रस्तर 214 एवं अनुवर्ती भाग सम्मिलित हैं, का अध्ययन किया है।

11. तदनुसार, हमें इस अपील को दाखिल करने में हुई 135 दिनों के अत्यधिक विलंब को क्षमा करने का कोई आधार या स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। विलंब क्षमा के लिए दायर किया गया आवेदन खारिज किया जाता है, परिणामस्वरूप अपील भी खारिज की जाती है।

7 जनवरी, 2026

पीयूष

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)